

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी, शिकोहाबाद  
वाद सं० 49/2008-09

श्रीमती पारवती जनदेवी सरल बगाम् उ०प्र० सरकार  
डवलेपमेन्ट एजुकेशन सोसाइटी धारा-143 ज०वि० एवं भू०व्य०अधि०  
मौजा-मदनपुर, शिकोहाबाद

निर्णय 20/05/09

प्रस्तुत कार्यवाही श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डवलेपमेन्ट एजुकेशन सोसाइटी  
वास्ते श्रीमन्त आर०एल० सुमन, 30 शैक्षणिक प्रा० कालेज मदनपुर द्वारा प्रबन्धक/सचिव  
श्री ग्याप्रसाद सोमेश एडवोकेट पुत्र श्री रामदयाल जाति-जाटव निवासी-मदनपुर  
परगना व तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद के द्वारा अन्तर्गत 143 ज०वि० एवं  
भू०व्य०अधि० के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चोड़ित की गयी। जिसमें कहा कि प्रार्थीगण  
मौजा-मदनपुर के खाता संख्या 180 में अंकित गाटा सं० 215 रकवा 0-271है० व खाता  
संख्या 213 गाटा संख्या 216 रकवा 0-138है० कुल दो किता रकवा 0-409है० के  
भूमिधर कार्रकार हैं उपरोक्त भाग में शैक्षणिक संस्था का निर्माण है उक्त भाग में कोई  
कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है, उक्त भूमि के गाटा  
संख्या को लगान से मुक्त करते हुये अकृषक भूमि घोषित किये जाने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार, शिकोहाबाद से कराई गयी। तहसीलदार  
शिकोहाबाद द्वारा जांच कर अपनी आख्या दिनांक 20.5.2009 को निर्धारित प्रारूप इस  
न्यायालय को उपलब्ध कराई गयी। जिसमें कथन किया है कि मौजा-मदनपुर के खाता  
संख्या 180 में अंकित गाटा सं० 215 रकवा 0-271है० व खाता संख्या 213 गाटा संख्या  
216 रकवा 0-138है० कुल दो किता रकवा 0-409है० पर श्रीमती पारवती जनदेवी सरल  
डवलेपमेन्ट एजुकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमन्त आर०एल० सुमन, 30 शैक्षणिक प्रा० कालेज  
का निर्माण हो रहा है तथा प्रार्थीगण के उक्त भाग पर कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य  
पालन, कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है अतः उक्त भूमि को आबादी भूमि घोषित किये जाने  
हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

मैंने वादीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, शिकोहाबाद की  
आख्या दिनांक 20-5-09 का अवलोकन किया इससे यह स्पष्ट होता है कि मौजा-  
मदनपुर स्थित उक्त गाटा संख्या की भूमि पर कृषि, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन,  
बागवानी का कार्य नहीं होता है। उक्त आराजी को आबादी भूमि घोषित किया जाना  
चित है।

### आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा-मदनपुर तहसील, शिकोहाबाद स्थित खाता  
संख्या 180 में अंकित गाटा सं० 215 रकवा 0-271है० मा०गु० 13-40 रूपया व खाता  
संख्या 213 गाटा संख्या 216 रकवा 0-138है० मा०गु० 6-80 रूपया कुल दो किता  
रकवा 0-409है० पर श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डवलेपमेन्ट एजुकेशन सोसाइटी वास्ते  
श्रीमन्त आर०एल० सुमन, 30 शैक्षणिक प्रा० कालेज मदनपुर द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्री  
ग्याप्रसाद सोमेश एडवोकेट पुत्र श्री रामदयाल जाति-जाटव निवासी-मदनपुर परगना  
व तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद की भूमि कृषि भूमि से इतर अकृषक भूमि  
घोषित की जाती है और उक्त लगान से मुक्त की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति  
तहसीलदार, शिकोहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्तानुसार  
अभिलेखों में अंकित करें, एक प्रति उप-निबन्धक शिकोहाबाद को भेजी जावे। वादी को  
निर्दिष्ट किया जाता है कि वह नियमानुसार विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के  
उपरान्त निर्माण कराये। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त दारिजल दफ्तर की जावे।  
दिनांक 28-05-2009

(सतीशचन्द्र शुक्ला)

असि० क० प्र०श्रेणी/उपजिलाधिकारी  
शिकोहाबाद